न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 109/17 उपनिवेशन विविध

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं.3, मु. बज्जु जिला बीकानेर

—प्रार्थी

: ब ना म :

नारायणसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत साकिल टिकेल नरूकान तह. फागी जिला जयपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थितिः—

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ।
2. अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री विजय भादाणी ।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 11.09.19

1. प्रार्थी स्टेट की ओर से उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 3 मु. बज्जु द्वारा यह प्रार्थना—पत्र दिनांक 29.10.12 को अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण प्रार्थना—पत्र इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपनिवेशन तहसील कोलायत नं.3 के चक 28 एमजेएम मु.नं. 123/40 की 20.04 बीघा कमाण्ड 3.16 बीघा अनकमाण्ड कुल 24 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति की राय के बिना आवंटित की गयी जो राजस्थान उपनिवेशन (इगानप उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम 1975 के नियम 22(3) के अन्तर्गत नियम विरूद्व होने के कारण आवंटन निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री विजय भादाणी अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

3. प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि आवंटन अधिकारी एवं अति. आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 04.06.07 को राजस्थान उपनिवेशन (इगानप उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम 1975 के अन्तर्गत 24 बीघा भूमि विनिमय समिति की अनुशंषा के बिना ही विनिमय में आवंटन की गयी है जो प्रकिया और नियमो के विपरित होने से निरस्त योग्य है। आवंटन पर्ची में आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यो के हस्ताक्षर नही है। इससे यह प्रगट होता है कि प्रकरण में आवंटन पर्ची में हेराफेरी की गयी है। अतः प्रार्थना स्वीकार कर नियम विरूद्व किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

5. अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी द्वारा जिस आवंटन को चैलेन्ज किया गया है, उसे दिनांक 07.12.2009 को खारिज किया जा चुका है। इस कारण उक्त कार्यवाही सारहीन हो गयी है। प्रार्थी को उक्त भूमि की एवज में विधिक प्रकिया के अनुसार तहसील नाचना नं.2 के चक 1–3 बीजेएसम में आवंटन हो चुका है जिसकी तमाम किश्ते जमा करवायी जा चुकी हैं तथा उसी पर काबिज है। अतः कार्यवाही सारहीन होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. हमने उभयपक्षकारान को सुना एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 22(3) के संबंध में मूल आवंटन दिनांक 04.06.07 तत्पश्चात विनिमय में दिनांक 07.12.09 में कोई उल्लंधन तो नहीं हुआ है तथा अप्रार्थीगण को भूमि आवंटन की सत्यता/प्रमाणिकता के संबंध में हम प्रकरण में विस्तृत जांच करवायी जाना न्यायोचित समझते है।

7. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अप्रार्थी को पूर्व में आवंटित उपनिवेशन तहसील कोलायत नं.3 के चक 28 एमजेएम मु.नं. 123/40 की 20.04 बीघा कमाण्ड 3.16 बीघा अनकमाण्ड कुल 24 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज की जावे। प्रकरण लैण्डहोल्डर तहसीलदार(रा) बज्जु को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 07.12.09 को अप्रार्थी को विनिमय में आवंटित भूमि के संबध में पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य/ सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए जांच करे और यदि प्रकरण में आवंटन नियम अथवा अन्य प्रावधानों का उल्लंधन हुआ है तो बिना विलम्ब के नियमानुसार सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें। मूल आवंटन पत्रावली मय प्रकरण 22(3) की पत्रावली सहित तहसीलदार (रा) बज्जु को प्रेषित की जावे।

8. आदेश आज दिनांक **11.09.19** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर (राज.)

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर